न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 97/2021 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 04.10.2021
G.C.M.S. NO. :_ 2021/97

गीता पत्नि स्व. फतहलाल शर्मा, उम्र वयस्क, निवासी नेवरिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन आरोग्य चल इकाई तृतीय, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–पशु चिकित्सा अधिकारी नेवरिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–ग्राम पंचायत नेवरिया, जरिये सरपंच/सचिव, नेवरिया, तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण/विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 ग्राम पंचायत नेवरिया

उपस्थिति : 1–श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता निगराकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 97/2021 (नि.पं.)
गीता पत्नि स्व. फतहलाल शर्मा निवासी नेवरिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी पशुधन आरोग्य चल इकाई तृतीय चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नेवरिया के पक्ष में जारी निः शुल्क पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की कोई पालना नहीं की गई है तथा ना ही मौके की जांच की गई और पट्टा जारी कर दिया। उक्त भूखण्ड पर पूर्व में निगराकार के पति के नाम ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 4245 दिनांक 14.02.1997 को जारी किया जा चुका है और बिना जांच पड़ताल के उक्त स्थान पर दूसरा पट्टा जारी कर दिया जो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। गैर निगराकार संख्या 1, 2 व 4 की ओर से जवाब पेश हुआ उसके पश्चात् गैर निगराकार संख्या 1, 2 व 4 भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया से पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नेवरिया के नाम पर निः शुल्क पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 जारी किया गया जो कि निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना नहीं की ना ही मौका निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना पत्र/उजरदारी नोटिस जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है वहां पूर्व मे ही ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार के पति फतहलाल के नाम पर पट्टा संख्या 4245 दिनांक 14.02.1997 को जारी किया जा चुका है तथा उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा पति फतहलाल शर्मा के जीवनकाल से केलूपोश मकान से चला आ रहा है निगराकार व उसके पुत्र द्वारा कच्चा निर्माण हटा कर पक्का निर्माण कराने हेतु नींव खुदवा कर पत्थर डलवाये तब गैर निगराकार संख्या 4 द्वारा उस निर्माण को रोक दिया और कहा कि गैर निगराकार संख्या 1 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 97/2021 (नि.पं.)
गीता पत्नि स्व. फतहलाल शर्मा निवासी नेवरिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी पशुधन आरोग्य चल इकाई तृतीय चित्तौड़गढ़ वगैरा

2 के पक्ष में पट्टा दिनांक 29.06.2018 को जारी किया जा चुका है। जबकि उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा नहीं रहा। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होकर भूखण्ड निर्माण हेतु पत्थर पडे हैं तथा नींव खोद रखी है। तत्कालीन सरपंच ने बिना किसी आधार व अधिकार के उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

गैर निगराकार संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश किया कि ग्राम पंचायत नेवरिया ने पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 पशु चिकित्सा केन्द्र नेवरिया के नाम आवंटित किया था जिसे निरस्त करने की कृपा करें क्योंकि पशुपालन विभाग चित्तौड़गढ़ में पशुधन आरोग्य चल इकाई तृतीय भूपालसागर में सभी पद रिक्त होने के कारण चल इकाई के अक्रियाशील होने के साथ–साथ भूपालसागर में होने से राशमी के पशु चिकित्सा उप केन्द्र नेवरिया से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा उप केन्द्र नेवरिया में पशुधन सहायक का ही पद है जो कि वर्तमान में रिक्त है। भवन निर्माण कराते समय निगराकार ने उक्त स्थान का पट्टा संख्या 4245 दिनांक 1997 को उसके पति फतहलाल शर्मा के नाम जारी होने का कथन करते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी विभागीय अधिकारियों एवं अधिशाषी अभियंता राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भीलवाड़ा जिनको भवन निर्माण हेतु अधिकृत किया है, ने संस्था हेतु आवंटित भूखण्ड पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना बताया है। पशु चिकित्सा उप केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई कब्जा एवं निर्माण नहीं है।

गैर निगराकार संख्या 4 ने जवाब पेश किया कि निगराकार के पति फतहलाल शर्मा के नाम पर सन् 1997 में आवासीय भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड पर वर्ष 2016 में निगराकार के परिवार द्वारा मकान निर्माण करवाने लिए नींव खुदवाई तथा निर्माण सामग्री लगभग 25 ट्रॉली पत्थर, रेत, गिट्टी, सीमेंट आदि सामग्री डलवाकर निर्माण कार्य चालू किया जिस पर तत्कालीन सरपंच ने निगराकार के परिवार व मजदूरों को धमका कर निर्माण कार्य बंद करवा दिया तथा तत्कालीन सरपंच आनन्द बैरवा ने पारिवारिक एवं राजनैतिक रंजिश के कारण निगराकार के परिवार को बिना बताये सन् 2018 में पशु चिकित्सालय को पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत नेवरिया एवं समस्त ग्रामवासी भी चाहते हैं कि पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण विवादित स्थान (जो कि गांव से बाहर है) पर नहीं होकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं सभी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकारी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारी समिति, पटवार भवन आदि कार्यालयों के नजदीक बनाया जावे ताकि आमजन की निगरानी में व अधिक सुविधाजनक रहेगा। वर्तमान ग्राम पंचायत नेवरिया इस विवाद के चलते पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए दूसरी जगह जमीन व पट्टा देने के लिए तैयार है जो कि समस्त ग्रामवासियों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं हित में रहेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया से प्राप्त रेकार्ड/अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया जिसके अनुसार अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नेवरिया के नाम पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 को जारी किया उक्त पट्टा जारी करने हेतु कायम मिसल का अवलोकन किया जिसमें प्रस्ताव संख्या 3 अनुसार दिनांक 06.05.2018 को मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों सीमा जाट, सीमा सुथार एवं अर्जुन बैरवा की कमेटी का गठन किया है किन्तु मौका निरीक्षण प्रपत्र पर गठित कमेटी के उक्त तीनों सदस्यों में से किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर अंकित नही होकर तत्कालीन सरपंच आनन्द कुमार बैरवा के हस्ताक्षर हैं तथा एक अन्य हस्ताक्षर उदयलाल सालवी के अंकित है जबकि कमेटी हेतु सीमा जाट, सीमा सुथार एवं अर्जुन बैरवा को नियुक्त किया गया था।

इसी प्रकार दिनांक 06.05.2018 को आपत्तियां मांगने हेतु जारी सूचना पत्र का अवलोकन करने पर भी उक्त सूचना पत्र किन व्यक्तियों के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया है किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा पट्टा संख्या 505 दिनांक 29.06.2018 जारी करने से पूर्व पंचायती राज नियमों की विधिवत् पालना नहीं करना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

गैर निगराकार संख्या 1 व 2 ने भी अपने जवाब में विवादित भूखण्ड पर अब तक कोई निर्माण नहीं होने तथा गैर निगराकार संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होने का कथन किया है। इसी प्रकार गैर निगराकार संख्या 4 जो कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया है ने भी विवादित भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होकर उसे पट्टा संख्या 4245 दिनांक 14.02.1997 को जारी करना बताते हुए राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नेवरिया के लिए विवादित भूखण्ड वाला स्थान गांव के बाहर होकर पशु स्वास्थ्य केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं होना बताया है साथ ही राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ग्रामवासियान की सुविधानुसार उपयुक्त जगह ग्राम पंचायत नेवरिया द्वारा पट्टा देने हेतु सहमति दी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 97/2021 (नि.पं.)
गीता पत्नि स्व. फतहलाल शर्मा निवासी नेवरिया, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी पशुधन आरोग्य चल इकाई तृतीय चित्तौड़गढ़ वगैरा

निष्कर्षतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नेवरिया, पंचायत समिति, राशमी द्वारा राजकीय पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नेवरिया के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 505 दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाता है किन्तु इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि न्यायालय पूर्व में स्व. फतहलाल शर्मा को दिनांक 14.02.1997 को जारी पट्टा संख्या 004244 की पुष्टि करता है।

चूंकि पूर्व में जारी पट्टा संख्या 004244 दिनांक 14.02.1997 जो कि निगराकार के पति स्व. फतहलाल शर्मा के पक्ष में जारी किया गया है वह निः शुल्क जारी किया गया है चूंकि निगराकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य नहीं होकर सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आती है अतः निगराकार के पति को अन्य किस विधिक आधारों में निः शुल्क पट्टा जारी किया गया इसकी भी जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति राशमी के स्तर से की जावे कि उक्त पूर्व मे जारी पट्टा संख्या 004244 दिनांक 14.02.1997 पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए जारी किया है अथवा नहीं तथा पट्टेधारी निः शुल्क पट्टा आवंटन हेतु पात्र था या नहीं? यदि पट्टा पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी नहीं किया गया है तो पूर्व जारी पट्टा संख्या 004244 दिनांक 14.02.1997 की निगरानी भी इस न्यायालय में अविलम्ब प्रस्तुत की जावे। प्रकरण अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवरिया को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत संतुष्टि कर सभी पक्षकारान को सुना जाकर पशुपालन विभाग को पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी को भी प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official